आपराधिक मामलों में सूचना का अधिकार: प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), पुलिस शिकायत और आरोप पत्र

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति मांगने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) का आवेदन:

इस टेम्पलेट के माध्यम से पाठकों को यह जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से एफआईआर, पुलिस शिकायतों एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकता है। यह सार्वजनिक है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से ऐसी जानकारी प्राप्त करने में मदद की है जो उनकी पहुँच से बाहर थी, परंतु आरटीआई के साथ अब ऐसी प्रतियों को भी प्राप्त किया जा सकता हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम लिखे जाने का औचित्य लोक सूचना को सुलभ बनाना और सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना था, यही कारण है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार से पुष्टि की जा सकती है।

एफआईआर, पुलिस शिकायत और अंतिम रिपोर्ट की प्रतियाँ प्रदान कराने के सवाल पर मंथन करते हुए विभिन्न न्यायिक निकायों द्वारा यह माना गया है कि आरटीआई आवेदन दाखिल कर एफआईआर, पुलिस शिकायत एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती है।

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (इसके बाद 'सीआईसी' के रूप में संदर्भित) ने भी *श्री न्यायमूर्ति आर.एन. मिश्रा सेवानिवृत्त बनाम सीबीआई* के मामले में फैसला सुनाया कि प्रत्येक नागरिक, आरोपी समेत, को एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। केवल इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार करना मनमाना होगा की संबंधित मामलों में आवेदक स्वयं एक आरोपी है।

केरल उच्च न्यायालय ने *जीजू लुकोस बनाम स्टेट ऑफ़ केरल* में आदेशित किया था की संबंधित पुलिस स्टेशन या पुलिस अधीक्षक (यहां 'एसपी' के रूप में संदर्भित) का कर्तव्य है की वह 2 दिनों के भीतर एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करें।

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2016 के अनुसार, शसन को अपनी जिम्मेदारी पर वेबसाइट पर एफआईआर की प्रति चढ़ाने से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे| हालाँकि यह संवेदनशीलता, नेटवर्क उपलब्धता आदि जैसे मानको पर भी निर्भर करता है। न्यायालय का उद्देश्य एफआईआर की प्रति को आसानी से उपलब्ध करके, पक्षों और उनके रिश्तेदारों की सहायता करना था।

WP(CRL) NO 468/2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने संबंधित राज्यों के पुलिस विभागों को एफआईआर की प्रतियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

महाराष्ट्र सूचना आयोग ने पुलिस महानिदेशक को एफआईआर की सभी प्रतियां वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। इस पोर्टल पर महाराष्ट्र राज्य में दर्ज एफआईआर की प्रतियां देखी जा सकती हैं।

पंजाब राज्य में, एफआईआर की एक प्रति मांगने के लिए, पंजाब राज्य पुलिस विभाग ने वर्ष 2016 में आरटीआई के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट और जनरल डायरी रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि अगर आवेदक गुप्त दस्तावेज की परिभाषा के तहत नहीं आता है तो एफआईआर की कोई भी कॉपी आवेदक को मुहैया कराई जा सकती है। इस दायरे में क्या आता

है, यह तय करने की शक्ति विशेष रूप से लोक सूचना अधिकारी को दी गई है। हालाँकि, निम्नलिखित वर्गों के अपराधों से संबंधित एक एफआईआर जिसके तहत पीड़ित का नाम गोपनीय रखा जाना है, को उपर्युक्त प्रतियां प्रदान करने से बाहर रखा गया है। इसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, और शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत उल्लिखित अपराध शामिल हैं। इसके अलावा, सांप्रदायिक गड़बड़ी, आतंकवादी गतिविधियों, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले और बच्चों से जुड़े किशोर न्याय मामलों से जुड़े मामलों को भी प्रतियां उपलब्ध कराने को भी बाहर रखा गया है। पाठकों की सुविधा के लिए भारतीय दंड संहिता (यहां आईपीसी के रूप में संदर्भित) के तहत अपराधों के बारे में एक विस्तृत तालिका, जिसे एफआईआर की प्रतिलिपि साबित करने से विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, नीचे दी गई है।

अनुक्रमांक	धारा	शीर्षक
1.	376	बलात्संग के लिए दंड
2.	376 क	पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड
3.	376 ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन
4.	376 ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन
5.	376 घ	सामूहिक बलात्संग
6.	376 ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड
7.	377	प्रकृति विरुद्ध अपराध

अतः उक्त वर्णित फैसले और कार्रवाइयाँ इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा एफआईआर की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

न्यायपालिका के साथ-साथ अर्ध-न्यायिक निकायों, जैसे सूचना आयोगों ने भी गहन अध्ययन के माध्यम से कानून का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के सार को यथासंभव सही तरीके से लागू करने का भी प्रयास किया है। इस तरह के उदाहरण, सूचना का अधिकार के आवेदको की स्थिति को मजबूत करते हैं।

2. आरोप पत्र की प्रति मांगने के लिए आरटीआई आवेदन:

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार (यहाँ 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी के द्वारा तैयार करी गयी रिपोर्ट को आरोप पत्र कहते हैं|

आइए विश्लेषण करें कि निम्नलिखित उप-बिंदुओं की सहायता से एक सूचना का अधिकार के आवेदन के माध्यम से आरोप पत्र की प्रति किस सीमा तक प्राप्त की जा सकती है:

केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा यह आदेश किया गया है कि आरोप पत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है। यह इस तर्क द्वारा समर्थित था कि एफआईआर के बाद से, एक परीक्षण और निर्णय सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में हैं; आपराधिक न्याय तंत्र का खुलापन सुनिश्चित करने के लिए एक आरोप पत्र भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आयोग का यह आदेश, केरल उच्च न्यायालय की नजीर *वी.जे. थॉमस बनाम स्टेट ऑफ़ केरला* के फैसले पर आधारित था।

उषा कांत असिवाल बनाम डायरेक्टोरेट ऑफ़ विजिलेंस के मामले में, यह माना गया था की कोई भी व्यक्ति जिसकी आपराधिक कार्यवाही में रुचि है, उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत निरीक्षण करने का अधिकार है।

यह भी अक्सर देखा गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 8(1)(जे) के संरक्षण के तहत, सूचना प्रदान कराने से मना करना आम बात हैं, लेकिन इस प्रथा को खत्म करने के लिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी ने धारा 8(1)(जे) के तहत छूट के विवाद को खारिज करते हुए आरोप पत्र के प्रकटीकरण का आदेश दिया। उनके आदेश के एक खण्ड का हिन्दी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत हैं:

> ***"सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, धारा 8 के तहत निश्चित बिन्दुओ को छोड़ कर, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारण किसी भी जानकारी को नागरिक द्वारा पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि आरोप पत्र में वे सबूत हैं जिन्हें कानून की अदालत में पेश करने की आवश्यकता है, ऐसे में कई विवरण खोलने से संभव है की व्यक्तिगत या निजी या गोपनीय जानकारी का भी खुलासा हो सकता है। यदि कॉल डेटा द्वारा आरोप को साबित करने की आवश्यकता होती है, तो अंतिम रिपोर्ट कॉल डेटा की शीट को संदर्भित करती है, जिसमें निश्चित रूप से कॉल विवरण शामिल होते हैं, जो आरोप से संबंधित नहीं होते हैं। यह निजी जानकारी हो सकती है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक आरोप पत्र की अलग से जांच करना उचित है एवं साक्ष्य के अनावश्यक और असंबंधित विवरणों को अलग करने के बाद ही आरोप पत्र से केवल आवश्यक और अनुमेय जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंतिम रिपोर्ट को न तो खुलासे से प्रतिबंधित किया जा सकता है और न ही पूरी तरह से खुलासा किया जा सकता है। अंतिम रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास एक दस्तावेज है, जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के साथ बंद करने योग्य पहलुओं की जांच करनी होती है और फिर मामले का फैसला करना होता है।***

3. शिकायत की प्रति मांगने के लिए आरटीआई आवेदन:

दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 2 (घ) के तहत शिकायत शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

> ***"(घ) "परिवाद" से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है;"***

आम तौर पर, एक पुलिस शिकायत में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं-

पुलिस रिपोर्ट एक प्रारंभिक रिपोर्ट है जो किसी अपराध के किए जाने के संबंध में पुलिस को दी जाती है।

यह एक एफआईआर के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

यह घटना के तथ्यों, एवं संबंधित जानकारी का ब्यौरा है|

इसे उस पुलिस थाने में दर्ज किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।

इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल किया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने *श्री राहुल कुमार गोयल बनाम दिल्ली पुलिस* के मामले में विशेष रूप से माना कि पुलिस विभाग में सूचना अधिकारी को पुलिस शिकायत के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। सूचना अधिकारी शिकायत की एक प्रति प्रदान करने के लिए बाध्य है। यदि शिकायत की प्रति विभाग द्वारा खो गई है, तो सूचना अधिकारी को उस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

पुलिस थाने में दर्ज वैवाहिक विवाद की शिकायत के संबंध में, शिकायत की एक प्रति किसी भी पक्ष द्वारा मांगी जा सकती है। आयोग ने *श्री वी. अय्यप्पन बनाम केंद्र शासित प्रदेश ऑफ़ पांडिचेरी इन पुलिस स्टेशन एट पांडिचेरी* में आदेश इस आधार पर किया की आवेदक ने अपनी पत्नी के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी है, बल्कि केवल उस शिकायत की प्रति मांगी है जिसके तहत विवरण उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

इसलिए, यह एक स्थापित स्थिति है कि आरटीआई अधिनियम के तहत पुलिस शिकायत की एक प्रति प्राप्त की जा सकती है।

4. टिप्स और ट्रिक्स

सूचना का अधिकार आवेदन दाखिल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

एफआईआर, आरोप पत्र, या शिकायत की एक प्रति के लिए आवेदन करते समय अधिक से अधिक विवरण प्रदान करने का प्रयास करें।

यदि आप आपराधिक मामले के पक्ष से संबंधित हैं, तो संबंध का उल्लेख करें और पार्टी से अनापत्ति पत्र प्राप्त करें। यह तीसरे पक्ष की जानकारी के नाम पर बर्खास्तगी की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है।

आवेदन का प्रतिदर्श

आवेदन अंतर्गत धारा(1)6 , सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सम्बंधित अधिकारी: लोक सुचना अधिकारी / सहायक लोक सुचना अधिकारी

संबंधित कार्यालय: पुलिस कंट्रोल रूम, शिवपुरी, (म.प्र.)

दिनांक: 01.01.2021

चाही गयी जानकारी: दिनांक ३०.०९.२०२० को मेरी पत्नी, श्रीमती ABCD द्वारा इस पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत का आवेदन पेश किया गया था| कृपया कर इस सम्बन्ध में निम्न जानकारी प्रदान कराये:

इस सन्दर्भ में चाही गयी जानकारी प्रदान करें:

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने हेतू प्रस्तुत लिखित शिकायत की प्रति प्रदान कराये;
2. मेरी पत्नी द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ३०.०९.२०२० की प्रति प्रदान कराये;
3. पुलिस द्वारा दर्ज कोई पुलिसिया शिकायत की प्रति प्रदान कराये;
4. पुलिस द्वारा तैयार की गयी कोई अंतिम रिपोर्ट की प्रति प्रदान कराये;

आवेदक, **पोस्टल ऑर्डर क्रमांक:**

Mr. XYZ
पता: 77 न्यु ब्लोक, शिवपुरी, म.प्र.
दूरभाष: XXXXXXXXXX

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले:

1. जरुरत पड़ने पर, धारा 5(3) के अंतर्गत 'युक्ति युक्त सहायता प्रदान' करें |
2.यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी, इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें |